न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 24/2018

जी.सी.एम.एस. नं.: 2018/00023

1. गुडडी देवी पत्नी
2. अनिल पुत्र
3. सुरेश पुत्र

} इन्द्रजीत जाति जाट निवासी 10 एनडी हाल 1 डीएम तहसील श्रीविजयनगर

—: वादीगण

बनाम

1. विशमपाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी 10 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
2. सरस्वती पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी 6 एलएम नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ श्रीगंगानगर राज.
3. मदनलाल
4. गिरधारी
5. बीरबल राम

} पि. श्रीराम जाति जाट निवासी 6 एलएम नाहरावाली तहसील अनूपगढ़, श्रीगंगानगर राज.

6. कमला पुत्री श्रीराम पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी 20 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
7. पानी देवी पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी 10 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
8. सायरी पुत्री श्योकरण पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
9. बनवारी लाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी 10 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
10. परमेश्वरी बेवा हरचन्दराम जाति जाट निवासी 6 एलएम नाहरावाली तहसील अनूपगढ़, श्रीगंगानगर राज.
11. मनीराम पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी 6 एलएम नाहरावाली तहसील अनूपगढ़, श्रीगंगानगर राज.
12. जगदीश पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी 1 डी.एम. धांधूसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
13. विमला पुत्री हरचन्दराम पत्नी सत्यनारायण पुनिया जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

14 गौरां पुत्री हरचन्दराम पत्नी जयनारायण पुनिया जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

15 औमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी 10 एनडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज.

16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयगनर

17 सुनील कुमार पुत्र इन्द्रजीत जाति जाट निवासी 10 एनडी हाल 1 डी.एम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति :—

1. श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिकवक्ता वादीगण
2. राजपैरोकार

—: निर्णय :—

दिनांक : 19/12/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि —

1. वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 व प्रतिवादी सं. 1 से 9 एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 14 के पिता हरचन्दराम मृतक तथा प्रतिवादी स. 15 के नाम से मुश्तरका खाता में चक 1 डीएम तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं. 19 के प.नं. 82/27 मु.नं. 60 कि.नं. 10,11,18ता23 का 1.949है. क./अ.क. एवं प.नं. 82/19 मु.नं. 61 के कि.नं. 1 ता 25 का 6.199है. क./अ.क. मय खाला व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 के कि.नं. 1 ता 25 का 6.198है. क./अ.क. मय खाला इस प्रकार कुल 14.346है. क./अ.क. मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 का संयुक्त रूप से 6.272है. रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड हिस्सा है। जो वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 के पति/पिता इन्द्रजीत का समस्त खरीदशुदा रकबा है। जो उनके देहान्त उपरान्त विरास्तन में प्राप्त हुआ है। कालान्तर में मुश्तरका खाता की भूमि को सभी सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमति एवं रजामन्दी से घरेलू बंटवारा कर लिया था व वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण उसी अनुसार घरेलू बंटावारा रोज से अपने अपने हिस्से की भूमि अनुसार घरू बंटवारा में आये विशिष्ट किलाजात के रकबा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इन्द्रजीत सिंह को उक्त समस्त संयुक्त खाता की भूमि में से घरेलू बंटावारा में चक 1 डीएएम का पनं. 82/19 मु.नं. 61 का कि.नं. 11 ता 14 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

1.012है., 17 ता 20 का 1.012है., 21/1 का 0.228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228 कुल 2.708है. व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 का कि.नं. 6,7 का 0.506है., 8 का 0.124है., 12 ता 19 का 2.024है., 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.227, 25/1 का 0.227 कुल 3.564है. कुल 6.272है. भूमि प्राप्त हुई है। जो कि वादीगण के पति/पिता द्वारा पूर्व दर्ज खातेदारान से खरीद करते समय दर्ज सह खातेदारान के उक्त अनुसार घरू विभाजन में चले आ रहे कब्जा काश्त उक्त किलाजात भूमि का ही कब्जा प्राप्त किया था। जिस पर वादीगण के पति/पिता के जीवनकाल में उनका कब्जा कश्त था एवं मृत्यु के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 का निरन्तर निर्बाध, शान्ति पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है। आदि आदि तथ्य अंकित कर वाद पत्र स्वीकार कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 को उक्त समस्त संयुक्त खात की भूमि में से घरेलू बंटवारा में प्राप्त कब्जा काश्त दर्ज रिकार्ड हिस्सा 6.272है. के रकबा चक 1 डीएएम का पनं. 82/19 मु.नं. 61 का कि.नं. 11 ता 14 का 1.012है., 17 ता 20 का 1.012है, 21/1 का 0.228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228 कुल 2.708है. व प. नं. 82/11 मु.नं. 62 का कि.नं. 6,7 का 0.506है., 8 का 0.124है., 12 ता 19 का 2.024है., 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.227, 25/1 का 0.227 कुल 3.564है. कुल 6.272है. भूमि विशिष्ट किलाजात अनुसार खाता विभाजन कर खातेदार टीनेन्ट घोषणा डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। मुताबिक घोषणा डिक्री वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में किलावाईज रकबा अंकन करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। वादीगण के नाम से विवादित भूमि का विधिक विभाजन होकर किलावाईज दर्ज रिकार्ड रकबा होने तक विवादित रकबा को किसी प्रकार अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने अथवा वादी की कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकर की मदाखलत बेजा करने व किसी सुविधा को हटाने या बाधित करने से बाज रहे बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible]गण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 15 व [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 16 [illegible]नगर की ओर से प्रकरण में पत्रांक/भूअ./2023/1631 दिनांक 11.0[illegible]023 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से एतराज व आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादबिन्दूओं की रचना नहीं की गई। वादी गुडडी देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:06 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

का शपथ पत्र पेश हुआ, जिस पर दस्तावेज प्रदर्श लगाए गए। वादी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज जमाबंदी चक 1 डीएम खाता सं. 19 प्रदर्श करवाई गई। बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी विवादित भूमि के खातेदार है जिससे वे खाता विभाजन करवाने के विधिक अधिकारी है। किसी भी प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादीगण के कब्जाकाश्त के किलाजात वादीगण को दिए जाने पर एतराज प्रकट नहीं किया है। वाद पत्र वांछित अनुतोष अनुसार डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के पति/पिता के नाम से संयुक्त खाता में बतौर खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा मुख्य अनुतोष अपने हिस्से की भूमि के खाता विभाजन का चाहा गया है, जिसमें उन्होंने अपने कब्जा काश्त के विशिष्ट किलाजात अंकित करते हुए घरेलु बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 को संयुक्त रूप से भूमि विभाजन में देते हुए रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया है। वादीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, जिससे वे अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाने के विधिक अधिकारी है। वाद पत्र के संबंध में किसी प्रतिवादी द्वारा एतराज प्रकट नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। ऐसे में वादी का वादपत्र वांछित अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाना उचित है।

—:: आदेश ::—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद डिक्री किया जाता है कि —

"वादीगण एवं प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के पति/पिता के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज विवादित खातेदारी भूमि चक 1 डीएम तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं. 19 के प.नं. 82/27 मु.नं. 60 कि.नं. 10,11,18ता23 का 1.949है. क./अ.क. एवं प.नं. 82/19 मु.नं. 61 के कि.नं. 1 ता 25 का 6.199है. क./अ.क. म[illegible] व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 के कि.नं. 1 ता 25 का 6.198है. क./अ.क. मय खाला इस प्रकार कुल 14.346है. क./अ.क. मय खाला में से वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 17 का संयुक्त रूप से रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार अन्य सहखातेदारान से खाता विभाजन कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 को चक 1 डीएम तहसील श्रीविजयनगर के का पनं. 82/19 मु.नं. 61 का कि.नं. 11 ता 14 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर
उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

1.012है., 17 ता 20 का 1.012है, 21/1 का 0.228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228 कुल 2.708है. व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 का कि.नं. 6, 7 का 0.506है., 8 का 0.124है, 12 ता 19 का 2.024है., 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.227, 25 का 0.227 कुल 3.564है. कुल 6.272है. क./अ.क. मय खाला ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 के नाम से उक्त विभाजित भूमि का पृथक खाता में अमलदरामद करें। शेष भूमि अन्य सहखातेदारान के नाम से रिकार्ड में यथावत रहेगी। अन्य अंकन बदस्तुर रहेगा।" इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19/12/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:06 IST
Reason: SelfAttested